# विक्रय – पत्र

## वांछित विवरण

1. मालियत विक्रय पत्र : 40,00,000/– रूपये
2. बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है : 41,06,000/– रूपये
3. स्टाम्प शुल्क : 3,30,000/– रूपये
4. स्टाम्प शीट की संख्या : 16
5. क्षेत्र : मौजा कांवली, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून।
6. स्थान : मौजा कांवली, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून।
7. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूमि
8. प्रमुख मार्ग से दूरी, ग्रामीण मार्ग से दूरी : विक्रीत सम्पत्ति चकराता क्रासिंग से बल्लीवाला चौक कांवली रोड क्रासिंग तक के मध्य पर मुख्य मार्ग से 50 मीटर के भीतर विवेक विहार मौजा कांवली, जी0 एम0 एस0 रोड पर स्थित है जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 340 वर्गमीटर है व उसमें निर्मित क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट अर्थात 111.48 वर्गमीटर है जिसका निर्माण साधारण श्रेणी का है। इस प्रकार भूखण्ड का मूल्यांकन निर्धारित सर्किल रेट 10500/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 340 X 10500 = 35,70,000/– रूपये होता है और उसमें निर्मित भाग का मूल्यांकन 111.48 x 6000 x .801 (22 वर्ष का ह्रास काटकर) 5,36,000/– रूपये होता है इस प्रकार सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन 41,06,000/– रूपये होता है जिस पर वर्तमान में प्रचलित स्टाम्प शुल्क 8 प्रतिशत की दर से रूपये 3,30,000/– रूपये अदा किये गये हैं।
9. भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं0 1660 (फसली वर्ष 1399–1404) में खसरा नं0 261मिन रकबा 0.010 है0 अर्थात 100 वर्गमीटर व भूमि खसरा नं0 262 मिन रकबा 0.024 है0 अर्थात 240 वर्गमीटर कुल रकबा 340 वर्गमीटर व उसमें निर्मित आवासीय इकाई रकबा 1200 वर्गफीट स्थित मौजा ग्राम कांवली, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून है जिसका मकान नं0 44/3 पॉकेट–2, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, कांवली, देहरादून है।
10. विक्रेतागण का नाम, पिता/पति का नाम, पता : (1) श्रीमती किशोरी देवी पोखरियाल पत्नी स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–44/3, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, देहरादून। (2) श्री हेमेन्द्र पोखरियाल पुत्र स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–44/3, पॉकेट–2, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, देहरादून (3) श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्री स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–29 गंज बजार, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड (4) श्रीमती हेमा जुगरान पत्नी श्री संजय जुगरान पुत्री स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–डी–69, गली नं0–1, भजनपुरा, नई दिल्ली।

11. क्रेता का नाम, पिता/पति का नाम व पता : श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी–9/3, स्पेशल विंग, प्रेमनगर, देहरादून।

रचयिता : प्रकाश0 टी0 पाल एडवोकेट देहरादून।

किशोरी देवी

082401

ARAN

.2.

## विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31.10.2009 को स्थान देहरादून में (1) श्रीमती किशोरी देवी पोखरियाल पत्नी स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–44/3, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, देहरादून। (2) श्री हेमेन्द्र पोखरियाल पुत्र स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–44/3, पॉकेट–2, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, देहरादून (3) श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्री स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–29 गंज बजार, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड (4) श्रीमती हेमा जुगरान पत्नी श्री संजय जुगरान पुत्री स्व0 श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल निवासी–डी–69, गली नं0–1, भजनपुरा, नई दिल्ली।

............... विक्रेतागण

एवम्

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी–9/3, स्पेशल विंग, प्रेमनगर, देहरादून।

............... क्रेता

के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया गया है।

विदित हो कि श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल पुत्र श्री घनश्याम दत्त पोखरियाल निवासी– नं0–419बी, खुडबुडा, देहरादून ने एक भूखण्ड स्थित भूमि खसरा नं0 261मिन क्षेत्रफल 0.010 है0 व खसरा नं0 262मिन क्षेत्रफल 0.024 है0 कुल रकबा 0.034 है0 भूमि को द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1979 को श्री विजय कुमार पुत्र श्री सत्य प्रकाश निवासी–63, सहारनपुर रोड, देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री दलीप चन्द बत्ता पुत्र लाला

किशोरी देवी

पच्चीस हज़ार रुपये
RUPEES 25000
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 082402

.3.

पोलोमल निवासी–लक्ष्मण चौक, देहरादून व श्री विलायती राम पुत्र श्री बंशी राम निवासी–22, आढत बाजार, देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री दलीप चन्द बत्ता पुत्र श्री पोलोमल निवासी–लक्ष्मण चौक, देहरादून से क्रय की थी और उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल ने एम0 डी0 डी0 ए0 से उक्त भूखण्ड में मानचित्र स्वीकृत करवाकर मकान का निर्माण करवाया।

और जैसा कि श्री पिताम्बर पोखरियाल पुत्र श्री घनश्याम दत्त पोखरियाल की मृत्यु दिनांक 11.07.2000 को हो चुकी है और उनकी मृत्यु के पश्चात विक्रेतागण सं0 1 उनकी पत्नी व विक्रेतागण सं0 2 ता 3 उनके बच्चे होने के कारण श्री पिताम्बर दत्त पोखरियाल के कानूनी वारिसान व उत्तराधिकारी बने और विक्रीत सम्पत्ति के स्वामी बने और विक्रेतागण का नाम वाद सं0 8459/04–05 न्यायालय तहसीलदार सदर देहरादून के अनुसार बतौर स्वामी अंकित व दर्ज है और विक्रेतागण को विक्रीत सम्पत्ति को विक्रय करने के समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त है।

किशोरी देवी Hema Jugran Sangeeta

उत्तरांचल UTTARANCHAL

082403

.4.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रेतागण उपरोक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण रकबा विक्रय कर रहे है और इसके अलावा उपरोक्त सम्पत्ति में विक्रेतागण का कोई रकबा शेष नहीं बचता है।

यह कि विक्रेतागण इस विक्रय पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति के संयुक्त रूप से स्वामी व काबिज है। विक्रेतागण के अलावा विक्रीत सम्पत्ति में कोई अन्य व्यक्ति एवं संस्था किसी प्रकार का कोई हित अधिकार, स्वामित्व आदि नहीं रखता है। विक्रेतागण को अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय अन्तरण के पूर्ण अधिकार प्राप्त है और विक्रीत सम्पत्ति को विक्रय किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

किशोरी देवी

Hema Jugran

Sangeeta

उत्तरांचल UTTARANCHAL 082404

.5.

विक्रीत सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धन, रहन, कर, कुर्की, अदालत, जमानत, दान, कर्जा एवं वसीयत आदि से पूर्णतः मुक्त एवं रहित है और विक्रीत सम्पत्ति हर प्रकार के वाद–विवाद एवं न्यायालय से पूर्णतः मुक्त एवं स्वच्छ स्वामित्व की है तथा विक्रेतागण को सम्पत्ति विक्रय सम्बन्धी समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त है।

विक्रेतागण अपनी इस सूची के अन्त में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने तथा क्रेता विक्रय मूल्य **रूपये 40,00,000 /– (चालीस लाख रूपये)** की एवज में क्रय किये जाने हेतु तैयार है। अतः यह विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया जा रहा है।

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रूपये

082405

उत्तरांचल UTTARANCHAL



अतः एवं एतद् द्वारा उपरोक्त विक्रेतागण अपनी स्वस्थ मानसिक व इन्द्रियों की दशा में बिना किसी के सिखलाये बहकाये, बिना किसी अनुचित दबाव या प्रभाव के वरन अपनी स्वेच्छा व विक्रय मूल्य **रूपये 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये)** की एवज में अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को मूल रूप से विक्रीत एवं हस्तान्तरित करते है तथा अपने तुल्य समस्त अधिकार, स्वामित्व, मार्ग आवागमन जल प्रवाह, वायु प्रकाश आदि के सुखाधिकार जो भी इस सम्पत्ति में प्राप्त हैं या प्राप्त होने वाले है, के सहित क्रेता को सौंपते है।

विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण :–

विक्रेतागण ने क्रेता रूपये **रूपये 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये)** निम्नवत प्राप्त कर लिये है –

क– मु0 3,00,000/– रूपये द्वारा चैक सं0 211844 स्टेट बैंक आफ इण्डिया आई0 एम0 ए0 देहरादून दिनांकित

ख– मु0 25,00,000/– रूपये द्वारा बैंकर्स चैक सं0 648327 बैंक आफ बडौदा, बल्लुपुर, देहरादून दिनांकित 30.12.2009 व

ग– मु0 12,00,000/– रूपये नकद

तथा इस सम्पत्ति के विक्रय मूल्य के बाबत अब कुछ भी लेन–देन बाकी नहीं है। विक्रय मूल्य की प्राप्ति की स्वीकृति विक्रेतागण संयुक्त रूप से महोदय सब रजिस्ट्रार के समक्ष भी करते है।

किशोरी देवी Hema Jugran Sangeeta

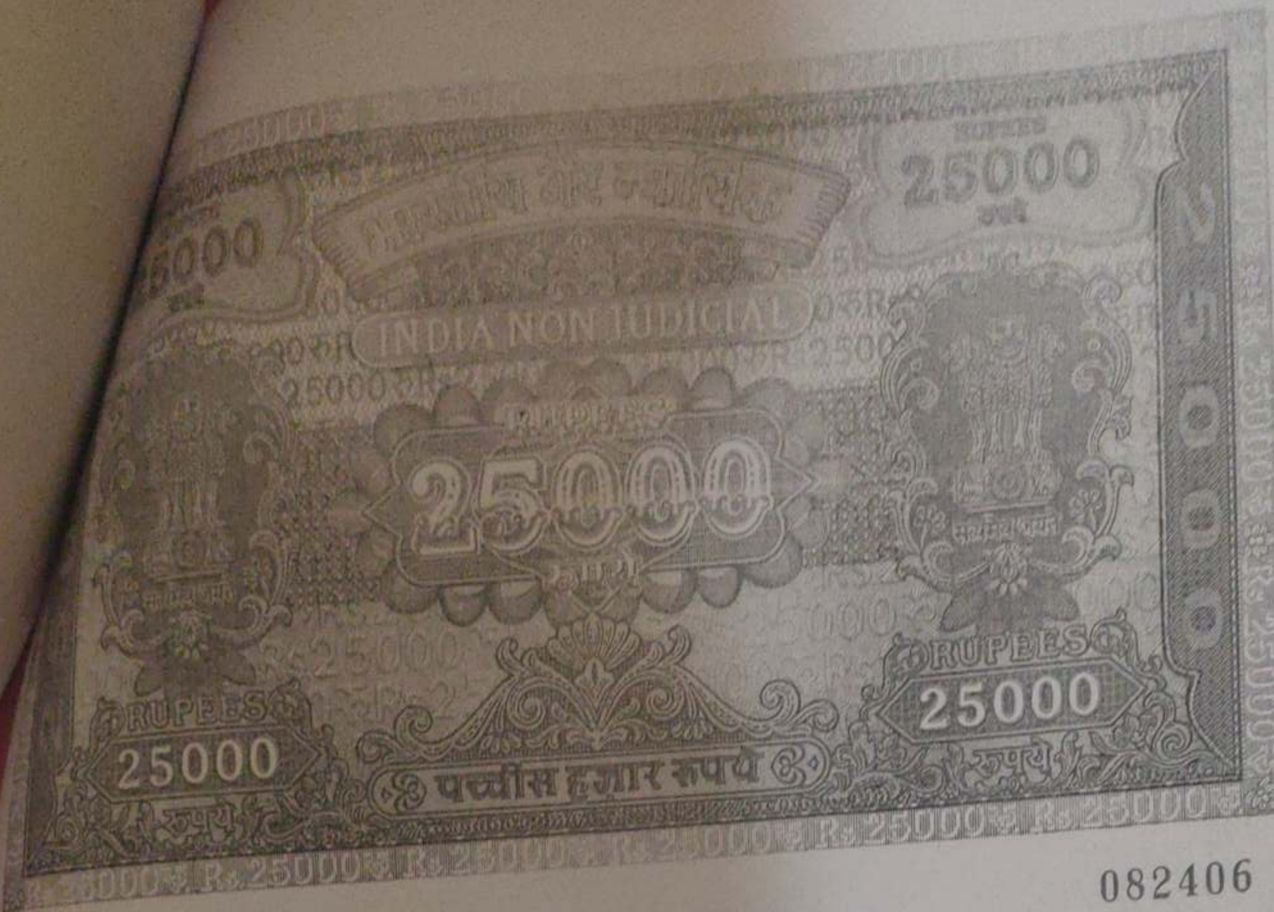


082406

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.7.

<u>अतः यह विलेख निम्न साक्ष्यांकित करता है :–</u>

इस प्रकार कुल विक्रीत मूल्य **रूपये 40,00,000/–** (चालीस लाख रूपये) की प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेतागण अपनी पूर्ण सन्तुष्टि में करते है।

1. यह कि आज से विक्रेतागण को अन्त में वर्णित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई हक या अधिकार नहीं रहा है। आज से क्रेता अन्त में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, अध्यासी काबिज हो गये है तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वे अन्त में वर्णित सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपयोग, उपभोग करे, निर्माण बनावे, रिहायश करे, या अन्य व्यक्ति को विक्रय अन्तरित व बन्धक व हस्तान्तरित करे, इसमें विक्रेतागण या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होंगें।

किशोरी देवी Hemajugran

Sangeeta

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

082407



2. यह कि अन्त में वर्णित सम्पत्ति की बाबत आज तक के समस्त टैक्स, लगान एवं अन्य सरकारी टैक्स आदि आज की तारीख तक विक्रेतागण वहन करेगे तथा आज के बाद उक्त दायित्व क्रेता का होगा।
3. यह कि क्रेता का अधिकार होगा कि वे राजस्व अभिलेखों व नगर निगम अभिलेखों से विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी दर्ज व अंकित कराये। नामान्तरण की कार्यवाही में विक्रेतागण, क्रेता का सहयोग करेगे।
4. यह कि भविष्य में यदि क्रेता को विक्रेतागण से सूची में वर्णित सम्पत्ति की बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अंकित करवाने या बयान आदि दिलाने की आवश्यकता पडती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेतागण, क्रेता के व्यय व अनुरोध पर करने के लिये सदैव तैयार रहेगे।

किशोरी देवी

Hema Jugran

Sangeeta

082408

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.9.

5. यह कि भविष्य में विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रेतागण के किसी दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है अथवा क्रेता को कोई हानि होती है तो ऐसी हानि की क्षति–पूर्ति क्रेता विक्रेतागण से अथवा उसकी किसी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. यह कि विक्रेतागण ने सूची में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, स्थल पर क्रेता को पाक व साफ दशा में दिया है।
7. यह कि यह विक्रय अभिलेख विक्रेतागण, क्रेता के वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि पर लागू व प्रभावी रहेगा।

किशोरी देवी

082409

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.10.

वाछित विवरण :–

1. दोनों पक्षों के मध्य कोई रजिस्टर्ड अनुबन्ध पत्र अंकित नहीं है।
2. विक्रीत सम्पत्ति में कोई पेड नहीं है।
3. विक्रेतागण व क्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

किशोरी देवी

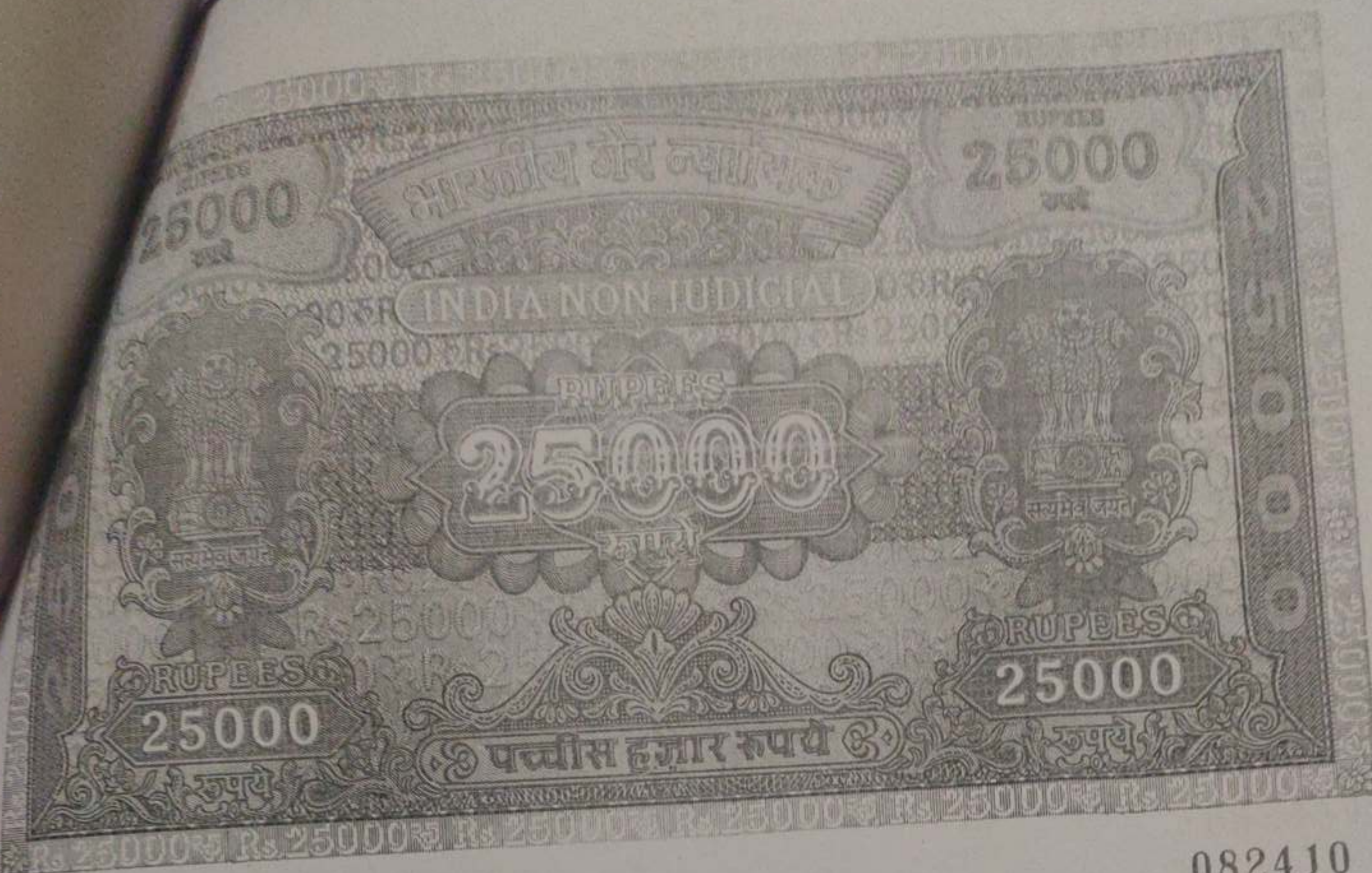


082410

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.11.

4. विक्रीत सम्पत्ति चकराता क्रासिंग से बल्लीवाला चौक कांवली रोड क्रासिंग तक के मध्य पर मुख्य मार्ग से 50 मीटर के भीतर विवेक विहार मौजा कांवली, जी0 एम0 एस0 रोड पर स्थित है जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 340 वर्गमीटर है व उसमें निर्मित क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट अर्थात 111.48 वर्गमीटर है जिसका निर्माण साधारण श्रेणी का है। इस प्रकार भूखण्ड का मूल्यांकन निर्धारित सर्किल रेट 10500/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 340 X 10500 = 35,70,000/- रूपये होता है और उसमें निर्मित भाग का मूल्यांकन 111.48 x 6000 x .801 (22 वर्ष का ह्रास काटकर) 5,36,000/- रूपये होता है इस प्रकार सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन 41,06,000/- रूपये होता है जिस पर वर्तमान में प्रचलित स्टाम्प शुल्क 8 प्रतिशत की दर से रूपये 3,30,000/- रूपये अदा किये गये हैं।
5. विक्रीत सम्पत्ति चाय बगान घोषित क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र से बाहर है।
6. विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं है।
7. यह कि विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति पर उत्तराखण्ड भू अधिनियम 29/2003 के प्राविधान लागू नहीं होते है।

किशोरी देवी

082411

उत्तरांचल UTTARANCHAL



8. यह कि विक्रेतागण ने विक्रीत सम्पत्ति की बाबत पूर्व में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम कोई वसीयत, दानपत्र पट्टा, मुख्तारनामा आदि अभिलेख नहीं लिखा हुआ है।
9. क्रेता ने विक्रेतागण की पहचान की एवं विक्रेतागण ने क्रेता की पहचान की तथा साथ ही साथ गवाहों ने विक्रेतागण एवं क्रेता को पहचाना तथा बतौर गवाह विक्रय पत्र में हस्ताक्षर किये। गवाहों व क्रेता के अनुसार विक्रेतागण को प्रमाणित किया है।

## विवरण विक्रीत सम्पत्ति

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं0 1660 (फसली वर्ष 1399–1404) में खसरा नं0 261मिन रकबा 0.010 है0 अर्थात 100 वर्गमीटर व भूमि खसरा नं0 262 मिन रकबा 0.024 है0 अर्थात 240 वर्गमीटर कुल रकबा 340 वर्गमीटर व उसमें निर्मित आवासीय इकाई रकबा 1200 वर्गफीट स्थित मौजा ग्राम कांवली, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून है जिसका मकान नं0 44/3 पॉकेट–2, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, कांवली, देहरादून है जिसकी सीमाये व नाप निम्न प्रकार है :–

पूरब मे : भूमि वाडिया इन्स्टीट्यूट, सीमा में नाप 62 फीट 6 इंच
पश्चिम में : मकान श्री सर्विज्ञा नन्द, सीमा में नाप 61 फीट
उत्तर में : 30 फीट चौडी सडक, सीमा में नाप 50 फीट
दक्षिण में : मकान श्री अशोक कण्डवाल, सीमा में नाप 66 फीट

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048998

.13.

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 31–ए अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस

विक्रेता सं0 1 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

दाये हाथ (**Right Hand**) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

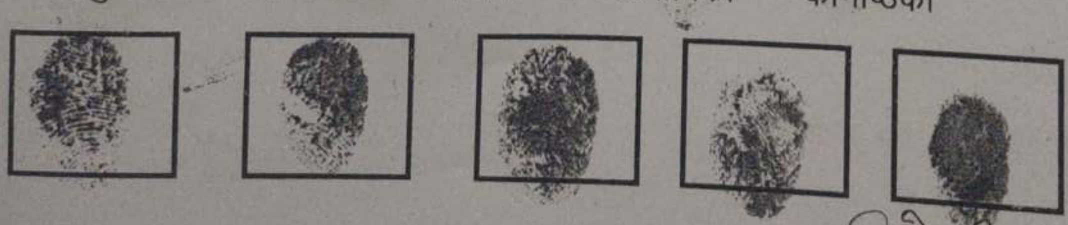

किशोरी देवी

विक्रेता सं0 1 के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000

भारत INDIA

Rs.15000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048999



विक्रेता सं0 2 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

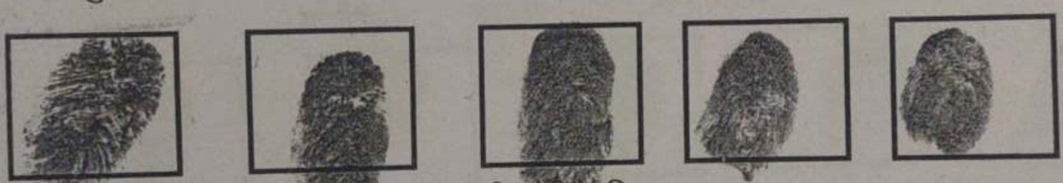

दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

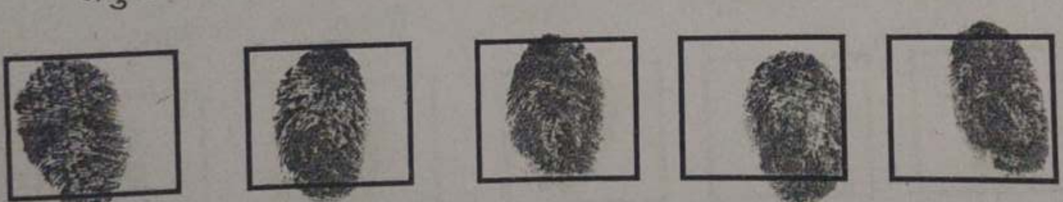

विक्रेता सं0 2 के हस्ताक्षर

किशोरी देवी

Hema Jugran

Sangeeta

भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

049000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

.15.

विक्रेता सं0 3 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

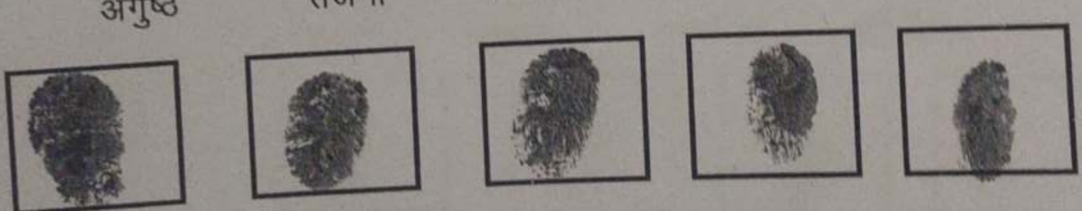

Hema Jugran

विक्रेता सं0 3 के हस्ताक्षर

किशोरी देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

रांचल UTTARANCHAL

076184

.16.

विक्रेता सं0 4 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

दाये हाथ (**Right Hand**) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

विक्रेता सं0 4 के हस्ताक्षर

किशोरी देवी

Hema Jugran

Sangeeta

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL 076189



क्रेता के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

दांये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

क्रेता के हस्ताक्षर

अतः यह विक्रय पत्र आरम्भ में अंकित तिथि, मास व वर्ष में अंकित कर दिया गया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आये।

Heena Jugran किशोरीदेवी
Sangeeta
विक्रेतागण..............

क्रेता............ [illegible]

गवाह 1. ..........................

2. [illegible] गुप्ता S/o [illegible] प्रसाद
[illegible] देहरादून

[illegible] : प्रकाश0 टी0 पाल, एडवोकेट, देहरादून।

री भूमि खाता खतौनी सं0 1660 (फसली वर्श 1399–1404) में खसरा नं0 मिन रकबा 0.010 है0 अर्थात 100 वर्गमीटर व भूमि खसरा नं0 262 मिन रकबा 0.024 है0 अर्थात 240 वर्गमीटर कुल रकबा 340 वर्गमीटर व उसमें निर्मित आवासीय इकाई रकबा 1200 वर्गफीट स्थित मौजा ग्राम कांवली, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून है जिसका मकान नं0 44/3 पॉकेट–2, विवेक विहार, जी0 एम0 एस0 रोड, कांवली, देहरादून है ।

विक्रेतागण : श्रीमती किशोरी देवी पोखरियाल
श्री हेमेन्द्र पोखरियाल
श्रीमती संगीता शर्मा
श्रीमती हेमा जुगरान

क्रेता : श्री राजेश कुमार

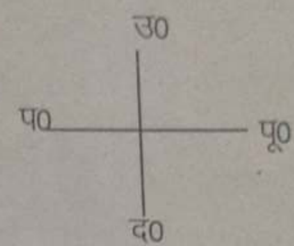


विक्रीत सम्पत्ति लाल रंग की रेखाओं से घिरी दर्शायी गयी है।

बिना परिमाप

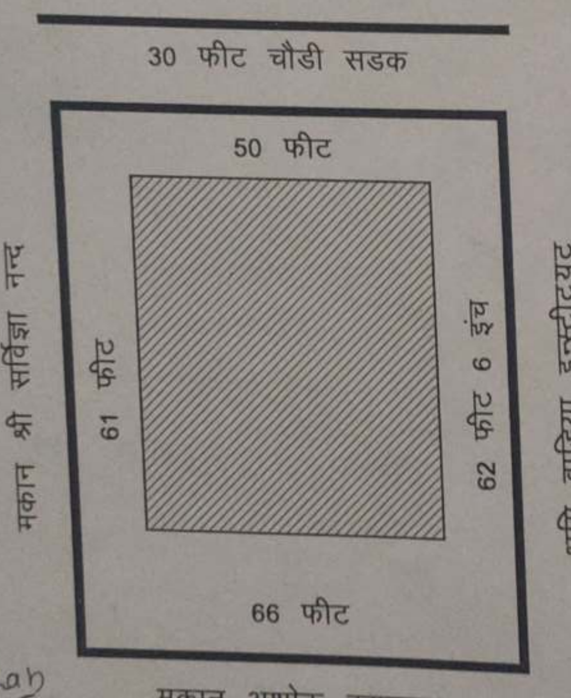


Hema Jugran
किशोरी देवी

विक्रेतागण

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

गवाह

बही न. 1 जिल्द 2902 पृष्ठ 245 से 280

में न. 7472 पर आज दिनांक 30/12/2009 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून